L . A. BILL No. X OF 2021.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT, 1960.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक १० सन् २०२१।

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० में अधिकतर संशोधन संबंधी विधेयक ।

सन् १९६१ का महा. २४।

क्योंकि, इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम ।

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन) अधिनियम, २०२१ कहलाए।

(शा.म.मु.) एचबी ४४१ (५०—६-२०२१)

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा २६ में संशोधन ।

२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० की धारा २६ की, उप-धारा (२) में छठे परन्तुक के स्थान में, निम्न परन्तुक, रखा जायेगा, अर्थात् :— सन् १९६१ का महा. २४।

"परन्तु यह और भी कि, ३१ मार्च २०२२ को या पूर्व लिये जानेवाले संस्थाओं के निर्वाचन के संबंध में संस्था के सभी सदस्य जब तक अन्यथा मतदान करने के लिये अपात्र नहीं है तब तक मतदान करने के लिए पात्र होंगे।"।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा २७ में संशोधन ।

३. मूल अधिनियम की धारा २७ की, उप-धारा (१-क) में, विद्यमान परन्तुक के स्थान में, निम्न परन्तुक, रखा जायेगा, अर्थात् :—

"परन्तु, इस उप-धारा के उपबंध ३१ मार्च, २०२२ को या के पूर्व लिये जानेवाले संस्थाओं के निर्वाचन के संबंध में लागू नहीं होंगे ।"।

कठिनाई के निराकरण की शक्ति।

४. (१) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्‌भूत होती है तो, राज्य सरकार, जैसा अवसर उद्‌भूत हो, **राजपत्र** में प्रकाशित किसी आदेश द्वारा, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों से अनअसंगत ऐसी कोई बात कर सकेगी जो कठिनाई के निराकरण के प्रयोजन के लिये आवश्यक या इष्टकर प्रतित हो ।

परन्तु, ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के अवसान के पश्चात् बनाया नहीं जायेगा ।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाये जाने के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा ।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य।

कोविड-१९ महामारी के प्रादुर्भाव के कारण, चूँकि २४ मार्च, २०२० से तालाबंदी की घोषणा को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक-आर्थिक क्रियाकलापों में अवरोध निर्माण हुआ है, इस कारण राज्य में सहकारी संस्थाओं के कार्य भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो गए हैं ।

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० के उपबंधों और तद्धीन विरचित नियमों के अनुसार, संस्थाओं को अनुबद्ध अवधि के भीतर उनका निर्वाचन हाथ में लेना और वार्षिक सर्वसाधारण बैठक आयोजित करना आवश्यक हुआ है । तथापि, कोविड-१९ महामारी के प्रादुर्भाव के कारण, संस्थाओं के निर्वाचन और वार्षिक सर्वसाधारण बैठक अनुबद्ध अवधि के भीतर नहीं ले पा सके थे । इसलिए, उक्त अधिनियम में संशोधन करना इष्टकर समझा गया है ।

उसी तरह, कोविड-१९ महामारी के कारण, मार्च २०२१ तक, सहकारी संस्था के सदस्यों को राहत देने के लिये, उक्त अधिनियम की धारा २७ में संशोधन किया गया है । तथापि, संशोधन के पूर्व, धारा २६ और २७ के उपबंधों के अनुसार, कोविड-१९ द्वारा प्रभावित सदस्य उनके अधिकारों को पुन:स्थापित नहीं कर सकेंगे । इस संबंध में, मुंबई उच्च न्यायालय ने, रिट याचिका दाखल की है और मुंबई उच्च न्यायालय ने, जरूरत को ध्यान में रखकर, राज्य सरकार को उक्त अधिनियम की धारा २६ में यथोचित संशोधन करने के लिये निर्देशित किया है ।

२. कोविड-१९ महामारी का फैलाव और परिणामत: राज्य में उसके द्वारा प्रभावित मरीजों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखकर, राज्य सरकार उसे नियंत्रण में लाने के उपाय के रूप में राज्य में व्यक्तियों की गतिविधियों पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाना भी आवश्यक समझती है और सरकार ने, दिनांकित ६ अप्रैल, २०२१ के आदेश द्वारा, ३१ अगस्त, २०२१ तक राज्य में सभी सहकारी संस्थाओं का निर्वाचन भी स्थगित किया है । उसी रूप में उक्त अधिनियम की धारा २६ के उपबंधों के अनुसार, कतिपय सदस्य सक्रिय सदस्य नहीं रहने के कारण मत देने के अधिकार से वंचित रहे हैं ।

उक्त धारा २७ सदस्यों को मत देने के अधिकारों का उपबंध करती हैं । उसकी उप-धारा (१क) यह उपबंध करती है कि, सदस्य जो, सक्रिय सदस्य नहीं है वह, मत देने के लिये हकदार नहीं होगा । सक्रिय सदस्यों को ध्यान में रखते हुए, संस्था के सदस्यों को संस्था के कामकाज में भाग लेना होगा और संस्था की उप-विधियों में यथा विनिर्दिष्ट संस्था की न्यूनतम सेवा का लाभ उठाना होगा ।

वह सदस्य, जो अंतिम पूर्ववर्ती पाँच वर्षों की वार्षिक सर्वसाधारण बैठक में एक वार्षिक सर्वसाधारण बैठक मे उपस्थित रहता है और जिसने संस्था की न्यूनतम सेवा का लाभ उठाया है वहाँ वह ऐसी संस्था का सक्रिय सदस्य कहलायेगा ।

यह ध्यान में आया है कि, कोविड-१९ महामारी की दृष्टि से, कई संस्थाएँ वित्तीय वर्ष के समापन से छह महिने के भीतर वार्षिक सर्वसाधारण बैठक लेने में सक्षम नहीं रही हैं और परिणामस्वरूप, सदस्य, सक्रिय सदस्य के रूप में बने नहीं रह सकते हैं ।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, धारा २६ की उप-धारा (२) और धारा २७ की उप-धारा (१क) में संशोधन करना इष्टकर समझा गया है ताकि, सदस्य सक्रिय सदस्य के रूप में भी समर्थ बने रहे और वर्ष २०२१-२२ के लिये, संस्था के निर्वाचन में अपना मत देने के लिये भी पात्र बने रहें ।

३. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है ।

मुंबई,
दिनांकित २९ जून, २०२१।

बाळासाहेब पाटील,
सहकारिता मंत्री।

विधान भवन,
मुंबई,
दिनांकित ३० जून, २०२१ ।

राजेन्द्र भागवत,
सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा ।

शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई